आवश्यक सूचना

दिनांक 19 से 24.06.2024 के मध्य विद्यार्थियों के मध्य वितरण हेतु टैबलेट प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को अवगत कराना है कि

1. योजनान्तर्गत जारी शासनादेशों का गहनता से अध्ययन कर निर्गत निर्देशों का अनुपालन एवं यूपीडेस्को द्वारा **दिनांक 22.11.2023 को निर्गत आदेशानुसार दिनांक 28.11.2023 से नवीन प्रक्रिया के अनुसार संस्थान अपने टैबलेट पर Google Play Store से Digishakti Mapper App इन्सटॉल कर अथवा यदि पूर्व से इन्सटॉल है, तो उसे अपडेट कर उपकरण की आई0एम0ई0आई0 नम्बर से छात्र–छात्राओं की QR Code को मैप करना तथा वितरण कार्यक्रम के समय QR Code अथवा आई0एम0ई0आई0 स्कैन कर Digishakti Mapper App में दिये गये ऑप्शन से प्रत्येक विद्यार्थी का टैबलेट सहित एक फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।** टैबलेट सहित विद्यार्थी का Digishakti Mapper App से फोटो अपलोड हुए बिना वितरण अपडेट नहीं किया जा सकता है। **बिना मैपिंग के वितरण कराये पर सम्बन्धित संस्थान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।**
2. डिजीशक्ति पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए कार्यक्रम हेतु **निर्धारित दिनांक को उक्त नामित पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराते हुए वितरित टैबलेट की हस्ताक्षर सहित सूची की सत्यापित प्रति निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से स्वयं हस्ताक्षरित कर कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लहरतारा, वाराणसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**
3. तत्पश्चात Transaction Menu के अन्तर्गत दिये गये विकल्प Receiving Status Update के माध्यम से Distribution Marking करना सुनिश्चित करेंगे। हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद/सूची की पी0डी0एफ0 भी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि **संस्थान में अध्ययनरत छात्रों द्वारा उस संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान के माध्यम से योजनान्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट दोबारा प्राप्त नहीं किया जा रहा हो ऐसा करना संज्ञेय अपराध माना जायेगा।**
4. **डिजी शक्ति योजना सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण बिन्दु है अतः प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार वितरण एवं पोर्टल पर अपडेशन करना सुनिश्चित करें।**
5. **इस महत्वपूर्ण योजना के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है अथवा अनियमितता पायी जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान के प्रमुख/निदेशक/प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी का होगा।**

आज्ञा से–

नोडल अधिकारी
डिजी शक्ति
वराणसी